



Neutral Citation No. - 2026:AHC:43456

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2921 वर्ष 2026

राम गोपाल दुबे और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: नरेंद्र श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं, जिसमें प्रार्थना यह है कि: (i) परमादेश की प्रकृति का कोई रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 3 को यह आदेश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करे और उसका निर्णय करे - अर्थात्, सोनभद्र जिले में 'सीजनल कलेक्शन अमीन' के संबंध में, वर्ष 2022 में विधिवत जारी की गई 'अंतिम वरिष्ठता सूची' में उनके नामों को शामिल किया जाए; और साथ ही, उन्हें 'नियमित कलेक्शन अमीन' के रूप में 'भूतलक्षी प्रभाव' से नियुक्त/नियमित किया जाए - विशेष रूप से तब, जब उनके कनिष्ठों को मौजूदा रिक्त पदों पर 35% कोटा के अंतर्गत नियमित किया जा चुका है; यह सब यू.पी. कलेक्शन अमीन नियमावली, 1974 के विशिष्ट प्रावधानों के तहत (जिन्हें समय-समय पर विधिवत संशोधित किया गया है), तथा स्वयं प्रत्यर्थियों द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक शासनादेशों और निर्देश पत्रों के अनुसार किया जाए; इसमें याचिकाकर्ताओं को प्रासंगिक सरकारी आदेशों के अनुसार आयु में छूट प्रदान की जाए; और तब तक, उन्हें 'सीजनल कलेक्शन अमीन' के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति दी जाए और जब भी उनके पारिश्रमिक (वेतन) का भुगतान देय हो, तो उन्हें नियमित रूप से प्रतिमाह उसका भुगतान किया जाए; (ii) कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय वर्तमान रिट याचिका के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत उचित और सही समझे; (iii) वर्तमान रिट याचिका का खर्च याचिकाकर्ताओं को प्रदान किया जाए, क्योंकि इसमें कोई अंतर्निहित तकनीकी दोष है, और उन्हें नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. वर्तमान याचिका को, उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ, 'वापस ली गई' मानकर खारिज किया जाता है।

25 फरवरी, 2026

राजेश

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”